मानननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर म.प्र.

निग-2433-PBR/16

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री सुभाष पटेल
- प्रार्थीया/ अभिभाषक द्वारा दिनांक 02.07.2016
को प्रस्तुत।

496/02.07.2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

शकुबाई बैवा श्री चैनसिंह जी जाति राजपूत आयु 50 वर्ष धंधा कृषि निवासी टकरावदा तह.बदनावर जिला धार म.प्र.

बनाम

1 रामेश्वर पिता भीलाजी जाति कुलम्बी आयु 60 वर्ष धंधा खेती निवासी टकरावदा तह.बदनावर जिला धार

2 हेमंत पिता रामेश्वरजी जाति कुलम्बी आयु 30 वर्ष निबासी टकरावदा तह.बदनावर जिला धार म.प्र. - विपक्षीगण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीया यह रिवीजन अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बदनावर तह. बदनावर जिला धार म.प्र. के द्वारा राजस्व प्रकरण 04 / अ-13/2015-16 मे पारित दिनांक 14.06.2016 से दुखी और अप्रसन्न होकर अन्य के अलावा निम्न आधारो पर अन्दर अवधि यह रिवीजन प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

प्रार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय में धारा 131 म.प्र.भू.रा.स के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था साथ में धारा 32 म.प्र.भू.रा.स के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था । प्रार्थीया का प्रकरण इस प्रकार है कि टकरावदा में प्रार्थीया के मालकि स्वत्व व अधिपत्य कि भूमि सर्वे 176/1 व 176/2 रकबा 0.202 आरे कि स्थित है। विपक्षी कमांक 01 की भूमि सर्वे न. 172/2 व 173/2 ग्राम टकरावदा मे स्थित है और विपक्षी क. 01 व विपक्षी क्र. 02 आपस मे पिता - पुत्र है और विपक्षी रामेश्वर लकवे से ग्रस्त होने के कारण विपक्षी हेमंत कृषि कार्य करता है।

प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने का कृषि कार्य करने का , फसल बोने का , फसल लाने ले जाने का , कृषि उपकरण लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता सिलौदा से टकरावदा डामर मार्ग से होकर आगे उत्तर दिशा मे कच्चे गाडी गडार के मार्ग से होकर पश्चिम के मुड कर सर्वे न. 172/2 की मेड से जंहा पर आदुत व परम्परा से मार्ग स्थित है अपनी भूमि प्रार्थीया पहुचता है। यही एक मात्र मार्ग प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने का आदुत व परम्परा से चला आ रहा है इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नही है।

विपक्षीगण ने सर्वे न. 172/2 कि भूमि मे मकान निर्माण कर लिया होकर आदुत परम्परा के पानी के बहाव को भी अवरूध कर दिया है।

यह कि दिनांक 25/02/2016 को प्रार्थीया अपनी दाविया कृषि भूमि में ट्रेक्टर लेकर खेत पर जा रही थी तो प्रार्थीया ने देखा कि विपक्षीगण ने सर्वे न. 172/2 , एवं 173

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

नरेन्द्र आदि / लीलाबाई आदि

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2433-PBR/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2017	आवेदक अधिवक्ता श्री संदीप यादव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार (म.प्र.) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-06-2016 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना पाया गया है, इसलिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.